न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
उपस्थित–पवन कुमार शर्मा–II, उच्चतर न्यायिक सेवा
{J. O. Code No.– UP–2735}

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–477/12A/2026

दिलशाद पुत्र अली हुसैन, निवासी मोहल्ला नाजिरपुरा, निकट बाईपास थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच। ----------आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–52/2026
धारा–61(2), 316(5) बी०एन०एस० व
धारा–3 सार्वजनिक सम्पत्ति नु०नि०अधिनियम
थाना–रामगांव, जनपद बहराइच।

दिनांक–10–03–2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त दिलशाद की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल जमानत प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय पर **प्रथम है** तथा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा द्वारा एक लिखित तहरीर थाने पर इस आशय की दी गयी कि, मो० असलम पुत्र श्री रहमान (आधार नं 7445506858214) पता करनपुर करनपुर पोस्ट युसुफपुर नहलिया करनपुर मुरादाबाद, 244102 वाहन संख्या UP21FT8485 द्वारा Samad Traders, नाजिरपुरा बाईपास बहराइच (मो07985510191) दिलशाद अली कबाड़ी से Prilific pvt Ltd village, Girdhari 5Th km stone, factory aliganj road kashipur, उत्तराखण्ड, को छात्रो को परिषदीय विद्यालय के छात्रो को बर्ष 202627 शैक्षिक सत्र में वितरित की जानी है जो निशुल्क पाठ्य पुस्तको को बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। उसको हमने चेकिंग के दौरान ट्रक को पाठ्य पुस्तक के साथ पकड़ा लिया गया है जिसका बजन (खाली) 10960 kgm तथा पाठ्य पुस्तक के साथ कुल वजन 21070 kg जिसमें से किताबो का वजन 10110 kg है, जिसको लेकर हम थाना रामगांव में ट्रक (लोडिंग) के साथ आ है। अतः आफसे अनुरोध है कि सम्बन्धित के विरुद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट कबाड़ी वाला samad traders तथा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज करे की कृपा करे। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4– आवेदक/अभियुक्त की जमानत के सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अपनी जानकारी में न तो उपरोक्त बरामदशुदा माल को उसके विधिपूर्ण संरक्षण से गायब किया है और न ही उसे अवैध तरीके से बिक्री करने का प्रयास ही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक रजिस्टर्ड कबाडी है उसको कबाड़ खरीदने व बिक्री करने का पूरा अधिकार है। प्रार्थी/अभियुक्त की फर्म को उपरोक्त कबाड़ में आने वाले किताबो को वैध तरीके से विक्रय किया गया जिसको सदभावी क्रेता के रूप में प्रार्थी ने सदभाव में आते हुए क्रय किया था। प्रार्थी के विरूद्ध धारा–316(5) बी०एन०एस० का कोई भी अपराध किसी भी सूरत में नहीं बनना पाया जाता है। तथा अन्य कथनो के साथ याचना की गयी कि अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बहराइच द्वारा जमानत

Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Date: 2026.03.10 16:26:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदन पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अभियुक्त द्वारा सरकारी सम्पत्ति का दुरूपयोग किया गया है। अतः अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी एवं समस्त प्रपत्रो का अवलोकन किया।

7– अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर षड़यन्त्र करके सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचाने का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त रजिस्टर्ड कबाडी है, उसके पास कबाड खरीदने व बेचने का अधिकार है। अभियुक्त की कोई विशिष्ठ भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त का एक अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया किन्तु उसके मुकदमें में अभियुक्त दोषमुक्त किया जा चुका है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनांक–22–02–2026 से जिला कारागार निरूद्ध है।

8– अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त करते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त है, तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त दिलशाद की ओर से उपरोक्त वर्णित मुकदमें में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी समान राशि की दो प्रतिभू विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर तथा निम्न शर्तों की अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर जमानत पर उसे अवमुक्त किया जावे।

1– आवेदक/अभियुक्त इस केस में नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित रहेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त न तो अभियोजन के गवाहान को डरायेगा व धमकायेगा, न ही अभियोजन साक्ष्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त स्वयं का निवास स्थान एवं उसके जमानतियों के निवास स्थान में परिवर्तन होने पर उक्त परिवर्तन की सूचना तुरन्त न्यायालय को उपलब्ध करायेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त इस मामले में जब न्यायालय में अभियोजन के गवाहान साक्ष्य हेतु उपस्थित होगा तब किसी किस्म की व किसी आधार पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं देगा।

5– आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपने केस के शीघ्र निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय का पूरा सहयोग करेगा और न्यायालय की कार्यवाही में किसी किस्म का कोई अवरोध/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न ही उसको दी गयी जमानत का किसी भी तरीके से दुरूपयोग करेगा।

(**पवन कुमार शर्मा–II**)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बहराइच

दिनांकः–10–03–2026